12/4/2018

Sixteenth Loksabha

an>

Title: Election of 20 Members from Lok Sabha and 10 Members from Rajya Sabha to the

Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

" कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331 ख के उप-नियम

(1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 2018 से शुरू होने वाली और 30 अप्रैल, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि

के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य

करने के लिए अपने में से 20 सदस्य निर्वाचित करें।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That the members of this House do proceed to elect in the manner required by

sub-rule (1) of rule 331B of the Rules of Procedure and conduct of Business in Lok

Sabha, twenty members from amongst themselves to serve as members of the

Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes for the term

beginning on the 1st May, 2018 and ending on the 30th April, 2019."

The motion was adopted.

डॉ. किरीट पी. सोलंकी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

12/4/2018

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा 1 मई, 2018 से शुरू होने वाली और

30 अप्रैल, 2019 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयोजित करने हेतु राज्य सभा के 10

सदस्य नामनिर्दिष्ट करने के लिए सहमत हो और राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट सदस्यों के

नाम इस सभा को सूचित करे।"

HON. SPEAKER: The question is:

"That this House do recommend to Rajya Sabha that Rajya Sabha do agree to

nominate ten members from Rajya Sabha to associate with the Committee on the

Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes of the House for the term

beginning on the 1st May, 2018 and ending on the 30th April, 2019 and do

communicate to this House the names of the members so nominated by Rajya

Sabha."

The motion was adopted.

.... (Interruptions)